

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

(कार्यादेश)

प्रेषक,

अधिशायी अभियन्ता
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मेसर्स प्रोग्रेसिव इन्जीनियरिंग एसोसियेट्स
14 ए बड़ी बगिया, सराय लाला,
इलाहाबाद।

पत्रांक- 10 /अधि0अभि0/वि0प्रा0/2016

दिनांक:- 21/12/2016

विषय:- नैनी आवास योजना में महर्षि विद्या मन्दिर के पास 16 ई0डब्ल्यू0एस0 एवं 32 एल0आई0जी0 प्लेटों (G-3) के निर्माण व विकास कार्य।

महोदय,

उपरोक्त कार्य की निविदा धनांक रु0 22629581.54/- की स्वीकृति आपके पक्ष में सर्व निम्न होने के कारण उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 19.12.2016 को प्रदान कर दी गयी है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निविदा धनांक का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि रु0 1331480/- N.S.C./F.D.R/C.D.R./ Cash, के रूप में जमा करा दें। शासनादेश संख्या-102286-355/ स्टाम्प/73 एवं दिनांक 12-06-2006 आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 इलाहाबाद के अनुसार रु0 110.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करायें।

यदि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर आप द्वारा वांछित जमानत धनराशि N.S.C./ F.D.R/C.D.R./Cash, के रूप में जमा कराते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित नहीं कराई जाती है तो आपकी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी, तथा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा साथ ही भवन एवं सन्निर्माण अधिनियम 1996 संपटित उ0प्र0 नियमावली, 2009 के अनुसार रु0 10.00 लाख से अधिक के कार्य पर श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा। निम्न उपबन्धों का भी अनुपालन किया जाय।

1. ठेकेदार को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तत्सम्बन्धी प्रदेश नियमावली 2009 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
2. ठेकेदार को राज्य कर्मकार बीमा एक्ट 1948 के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
3. ठेकेदार को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1952 प्राविडेन्ट एक्ट 1925 तथा वेतन आदि का भुगतान करना होगा।
4. सर्विस टैक्स यदि देय होता है तो विभाग द्वारा देय होगी।
5. शेष कटौतियाँ उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप की जायेगी।
6. ठेकेदार को नियमानुसार लेबर सेस आदि का भुगतान करना होगा।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

कार्य प्रारम्भ की तिथि:- 22.12.16

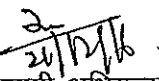
कार्य समाप्त की तिथि:- 27.12.16

भवदीय,


(आर0डी0राय)
अधिशायी अभियन्ता

प्रतिलिपि-

1. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. उप श्रमायुक्त, इलाहाबाद, 9 म्योर रोड, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिशायी अभियन्ता